इकाई 16 मौर्य 'साम्राज्य'*

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 मौर्य काल के अध्ययन के स्रोत

16.3 मौर्य राजवंशः उत्पत्ति और विस्तार

16.3.1 चंद्रगुप्त मौर्य

16.3.2 बिन्दुसार

16.3.3 अशोक

16.4 'साम्राज्य' का निर्माण

16.5 अर्थव्यवस्था

16.5.1 व्यापार और वाणिज्य

16.6 *अर्थशास्त्र* और *सप्तांग* सिद्धांत

16.7 प्रशासन

16.7.1 केंद्रीय प्रशासन

16.7.2 जिला और ग्राम स्तरीय प्रशासन

16.8 समाज

16.9 सारांश

16.10 शब्दावली

16.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.12 संदर्भ ग्रन्थ

16.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आपको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगीः

- प्रथम अखिल भारतीय राजनीति की शुरुआत के सम्बंध में तथा मौर्य और उनके विशाल क्षेत्र की संचालन प्रक्रिया के बारे में;
- एक साम्राज्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों के बारे में;
- शहरी अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में; और
- मौर्य सम्राज्य, इसकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में।

16.1 प्रस्तावना

भारत पर अलेक्ज़ेंडर के आक्रमण के समय, नंद शासन के तहत मगध सबसे दुर्जेय शक्ति के रूप में उभरा था। नंदों के उत्तराधिकारियों, यानी मौर्यों के अधीन, मगध का विकास अपने चरम पर पहुंच गया। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित

* प्रीती गुलाटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार, सुदूर उत्तर-पश्चिम तक फैले उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा एक वृहत सत्ता के अधीन था।

यह इकाई आपको मौर्य साम्राज्य और इतिहास में इसके महत्व से परिचित कराएगी। इस इकाई में मुख्य ध्यान मौर्य काल के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं पर होगा। अगली इकाई में, हम अशोक और धम्म की नीति के साथ उसके अनूठे प्रयास पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे।

16.2 मौर्य काल के अध्ययन के स्रोत

इस काल के सम्बंध में विविध स्रोत उपलब्ध हैं। इन स्रोतों के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कई स्रोत समीक्षाधीन अवधि के समकालीन हैं। आइए हम उनमें से कुछ को विस्तार से समझते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत मेगास्थनीज़ की *इंडिका* है। मेगास्थनीज, सेल्यूकस का दूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया था। उसकी कृति, *इंडिका*, चंद्रगुप्त मौर्य शासन के अधीन भारत, विशेष रूप से उत्तरी भारत में भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों का संकलन है। हालांकि, "*इंडिका*" से सम्बंधित मूल संकलन खो गया है। इसके बावजूद बाद के लेखकों के उद्धरण और सार के रूप में यह उपलब्ध है।

एक अन्य लोकप्रिय स्रोत कौटिल्य का *अर्थशास्त्र* है। परंपरागत रूप से *अर्थशास्त्र* को कौटिल्य *अर्थशास्त्र* के नाम से एवं विष्णुगुप्त या चाणक्य के *अर्थशास्त्र* के नाम से भी जाना जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे। उसने नंदों को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। *अर्थशास्त्र* एक मीमांसात्मक ग्रंथ है जिसमें राजकाज के तरीकों का वर्णन है। इसमें राज्य की वास्तविक स्थिति का वर्णन नहीं है। *अर्थशास्त्र* के अध्ययन से पता चलता है कि इसके कुछ अध्यायों में वर्णित तथ्य पहली दो शताब्दियों के युगों से साम्यता रखते थे। हालाँकि, कई विद्वान इसे मौर्यों के समकालीन मानते हैं। इसमें एक जटिल प्रशासनिक संरचना को प्रस्तुत किया गया है जिसे मौर्यों से पहले किसी भी समय हासिल नहीं किया गया था।

दिव्यवदान, अशोकवदान जैसे ग्रंथों में श्रीलंकाई बौद्ध इतिवृत्त जैसे *महावंश, द्वीपवंश* और उत्तरकालिक *पुराणों* में वर्णित राजाओं की सूची में भी मौर्यों का उल्लेख है।

मौर्य काल के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत निस्संदेह अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेखों से भारतीय युगांतर की शुरुआत होती है। इन शिलालेखों से राजा की सोच और उसके विचारों के बारे में पता चलता है। ये लेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में तथा कभी-कभी खरोष्ठी लिपि में (उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भागों में) भी लिखे गए हैं। ग्रीक और अरमैक में भी कुछ शिलालेख हैं। दक्षिण-पूर्व अफ़ग़ानिस्तान में कंधार के पास शार-ए-कुना में तथा तक्षशिला में भी द्विभाषी ग्रीक-अरमैक शिलालेख पाया गया है। अशोक ने स्वयं इन शिलालेखों को धम्मलिपि (धर्मपरायणता) के रूप में निर्दिष्ट किया था जो निम्न प्रकार के हैं (मानचित्र 1):

1) चौदह प्रमुख शिलालेख,
2) दो 'अलग' शिलालेख / कलिंग शिलालेख,
3) दो लघु शिलालेख,

4) सात स्तंभ शिलालेख/प्रमुख शिलालेख,

5) लघु स्तम्भ शिलालेख,

6) बैराट (राजस्थान) का शिलालेख,

7) दो लघु स्तंभ शिलालेख, एवं

8) गया, बिहार के करीब बराबर पहाड़ियों पर उत्कीर्ण शिलालेख।

प्रमुख शिलालेख और स्तम्भ शिलालेख विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं, जिनमें मामूली बदलाव हैं। लघु शिलालेखों को सबसे पुराने शिलालेखों में माना जाता है, जिसके बाद प्रमुख शिलालेख हैं एवं स्तम्भ शिलालेख सबसे बाद के हैं।

चित्र 16.1: मौर्यों के आहत सिक्कों का भंडार। श्रेयः सीएनजी सिक्के। स्रोतः विकिमीडिया कॉमन्स (https://en.wikipedia.org/wiki/Punch-marked_coins#/media/File:Hoard_of_mostly_Mauryan_coins.jpg)

मौर्य काल के अध्ययन के अन्य भौतिक स्रोतों में सिक्के (चित्र 16.1) और पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। इस अवधि के सिक्के बिना किसी किंवदंतियों के हैं। चांदी से बने आहत सिक्के ज्यादातर, मौर्य काल के दौरान जारी किए गए थे। मौर्यों के आहत सिक्कों में एकरूपता है। ज्यादातर सिक्के, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए थे जो कर्षापण सिक्के के रूप में जाने जाते हैं। ये जारी करने वाले प्राधिकारी को निर्दिष्ट नहीं करते हैं बल्कि वे मौर्य राजाओं से संबंधित कुछ चिन्ह प्रस्तुत करते हैं। इन प्रतीकों में मेहराब पर अर्धचन्द्राकार, वेदिका में वृक्ष, व मेहराब पर मोर शामिल हैं।

बुलंदिबाग (चित्र 16.2) और कुम्रहार (चित्र 16.3) के पुरातात्विक अवशेष मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र से जुड़े हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थल तक्षशिला, मथुरा और भीटा हैं। इन खोजों की पुरावशेष उच्चस्तरीय है तथा इसमें शहरी जीवन की विविधताओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार, मौर्यों के बारे में व्यापक और सार्थक समझ विभिन्न स्रोतों के संयुक्त विश्लेषण पर टिकी हुई है।

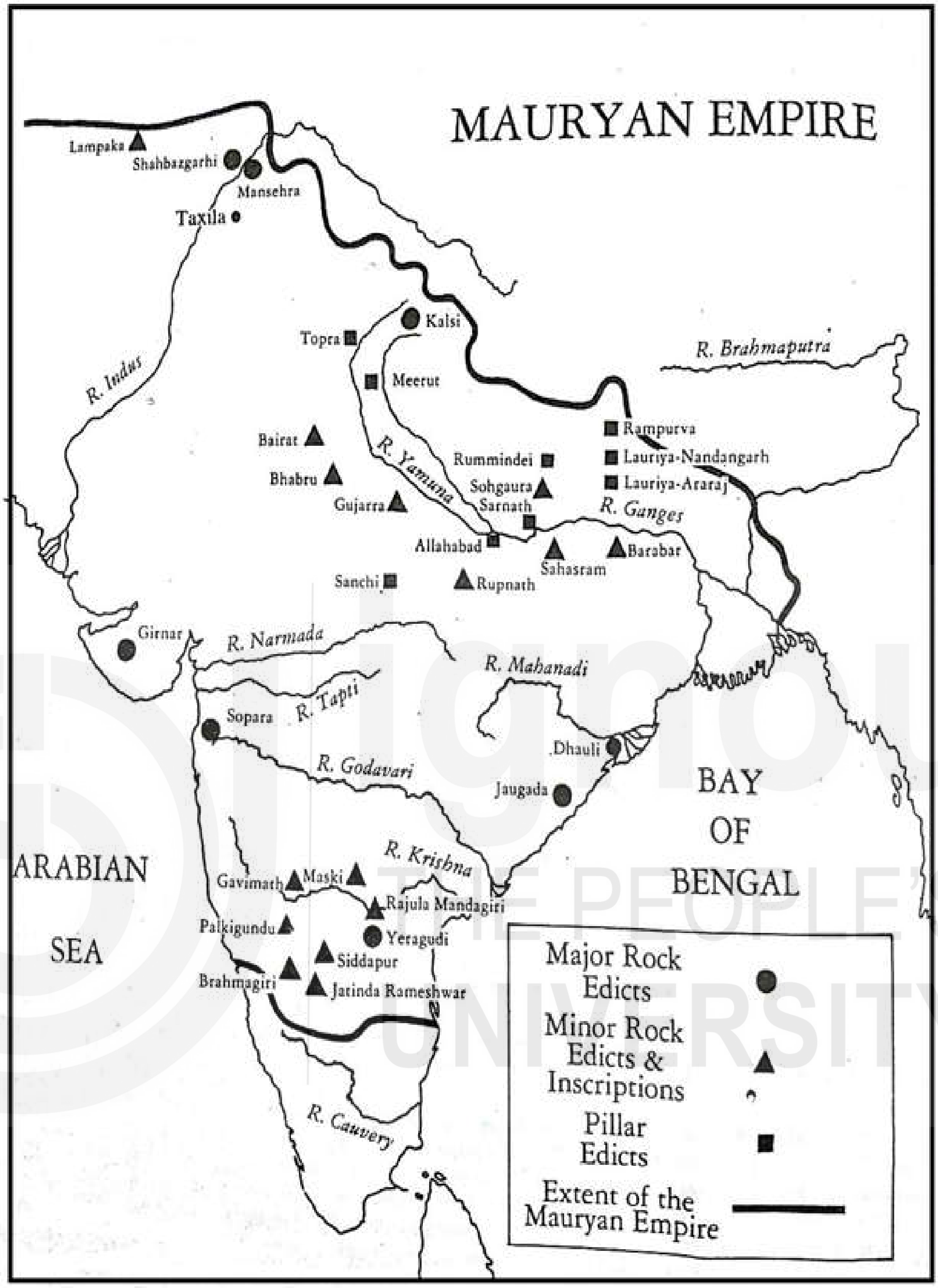

मानचित्र 16.1: अशोक के शिलालेखों का स्थान। स्रोतः ई.एच.आई.-02, खंड-5

[प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख एवं अंकन/उत्कीर्ण, स्तम्भ शिलालेख, मौर्य सम्राज्य का सीमाक्षेत्र नक्शे में दर्शाये गए शहरों के नामः

बंगाल की खाडी, अरब सागर, कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी, जतिंद रामेश्वर, सिद्दपुर, येरागुडी, पाकिगुंडु, रजुला मंदागिरि, गविमठ, मस्कि, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, जौगडा, धौली, महानदी, ताप्ती नदी, सोपारा, नर्मदा नदी, गिरनार, साँची, रुपनाथ, ससाराम, बराबर, इलाहाबाद, गुज़र्रा, भाब्रु, बैराट, यमुना नदी, गंगा नदी, लॉरिया अराराज, लौरिया नंदनगढ, रामपूर्वा, मेरठ, कलसी, टोपरा, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, तक्षशिला, मनसेहरा, लम्पाक, शाहबजगढ़ी]

चित्र 16.2: पाटलिपुत्र के बुलंदिबाग स्थल पर मौर्यकालीन अवशेषः लकड़ी के खंबों की पंक्ति। 1912-13 ए.एस.आई.ई.सी. द्वारा पाटलिपुत्र की प्राचीन तस्वीर। स्रोतः विकिमीडिया कॉमन्स (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauryan_remains_of_wooden_ palissade_at_ Bulandi_Bagh_site_of_Pataliputra_ASIEC_1912-13.jpg)

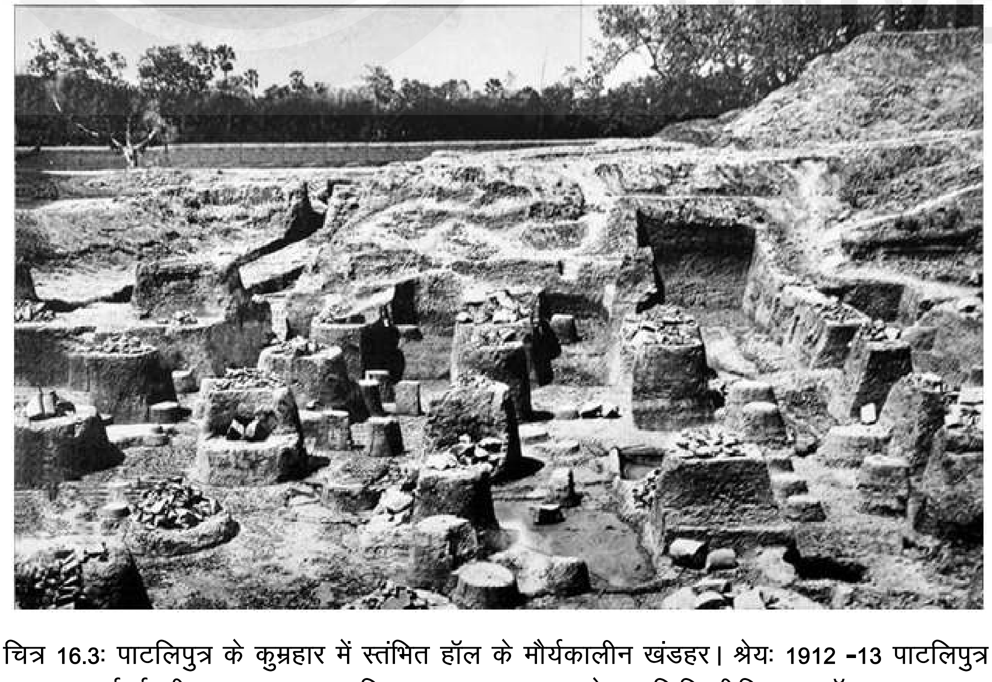

चित्र 16.3: पाटलिपुत्र के कुम्रहार में स्तंभित हॉल के मौर्यकालीन खंडहर। श्रेयः 1912 -13 पाटलिपुत्र में ए.एस.आई.ई.सी. द्वारा पुरातात्विक उत्खनन। स्रोतः विकिमीडिया कॉमन्स (https:// commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauryan_ruins_of_pillared_hall_at_ Kumrahar_ site_of_Pataliputra_ASIEC_ 1912-13.jpg)

16.3 मौर्य राजवंशः उत्पत्ति और विस्तार

मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, जिन्होंने 321 / 324 बी.सी.ई. में नंद वंश को उखाड़ फेंका था। पुराणों के अनुसार, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा, यानी, मौर्यों ने संभवत 187 / 185 बी.सी.ई. तक शासन किया था। अगर अनुमानित तिथियों को मानें, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौर्य काल चौथी शताब्दी बी.सी.ई. के आसपास से दूसरी शताब्दी बी.सी.ई. की पहली तिमाही तक विद्यमान रहा।

16.3.1 चंद्रगुप्त मौर्य

चंद्रगुप्त की वंशावली और जाति के बारे में अलग-अलग ग्रन्थों में अलग-अलग वर्णन मिलता है। *मुद्राराक्षस* ने उसे निम्न जाति का बताया है। विष्णु *पुराण* के टीकाकार धुंडीराजा के अनुसार चंद्रगुप्त नंद वंशज था, जो नंद राजा सर्वार्थसिद्धि एवं मुरा, शिकारी की बेटी, की संतान था। मुरा का पुत्र होने के कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया, जो वंशवाद का प्रतीक बन गया। जैन लेखक, हेमचंद्र द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखित पुस्तक में, चंद्रगुप्त को मोर पकडने वाले कबीले (मयूर पोशक) के प्रमुख के पोते के रूप में वर्णन मिलता है। इसी तरह, जस्टिन और प्लूटार्क के यूनानी लेखों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सैंड्रोकोटस (यानी, चंद्रगुप्त) का किसी भी शाही घराने से सम्बंध नहीं था। दूसरी ओर, *दीघनिकाय, महावंश* और *दिव्यवदान* जैसे बौद्ध ग्रंथों में मौर्य वंश को एक खटिया (पाली में क्षत्रीय) कबीले के मोरिया कहा गया है, जो पिप्पलीवन पर शासन करता था। उसके कुलीन जन्म पर ज़ोर इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि इससे उसका राजगंद्दी पर बैठना वैध हो जाता था।

ग्रीक लेखों से हमें पता चलता है कि भारत से सिकंदर के जाने के तुरंत बाद, सैंड्रोकोटस ने एक नए राजवंश की स्थापना की और उसने विशाल क्षेत्रों को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसके अलावा सूत्रों में चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच हस्ताक्षरित एक संधि का भी उल्लेख मिलता है। इस संधि की शर्तों के तहत अराकोशिया (दक्षिण-पूर्व अफ़ग़ानिस्तान का कंधार क्षेत्र), गेड्रोशिया (दक्षिण बलूचिस्तान), तथा परोपोमिसदाई (अफ़ग़ानिस्तान एवं भारतीय उपमहाद्वीप के बीच का क्षेत्र) चन्द्रगुप्त के साम्राज्य क्षेत्र में शामिल हुआ। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध हाथियों को सेल्युकस को उपहार में

चित्र 16.4: कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित भद्रबाहु गुफा, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। श्रेयः अमोल ठिकाने। स्रोतः विकिमीडिया कॉमन्स (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bhadrabahu_Goopha_on_Chandragiri.JPG)

दिया था। संधि के तहत, यूनानियों और भारतीय लोगों के बीच अंतर्जातीय शादी के अधिकारों को भी स्वीकार किया। चंद्रगुप्त ने न केवल उत्तर पश्चिम पर बल्कि गंगा के मैदानों, पश्चिमी भारत और दक्कन पर भी नियंत्रण स्थापित किया। केरल, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्से इस दायरे से बाहर थे।

ग्रीक-रोमन स्रोतों में सैंड्राकोटस के सैन्य कारनामों के बारे में व्यापक उल्लेख मिलता है। प्लूटार्क ने लिखा है कि सैंड्रैकॉटस ने 600,000 पुरुषों की सेना के साथ पूरे 'भारत' पर शासन किया। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि शब्द 'भारत' से इस लेखक का वास्तव में क्या मतलब है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त का शासनकाल लगभग 24 वर्षों तक रहा।

16.3.2 बिन्दुसार

चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिन्दुसार था जिसने 297 और 273 बी.सी.ई. के बीच शासन किया। *महाभाष्य* में अमित्रघट (शत्रुओं का नाश करने वाला) को चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में बताया गया है। दूसरी ओर यूनानी लेखों जैसे एथेनायोस और स्ट्रैबो में वह अमितरोखेट्स या एलिट्रोहेट्स के रूप में उल्लखित है। ये नाम संभवतः शाही शीर्षक थे, जो उनकी सैन्य क्षमता के बारे में जानकारी देते हैं। बिन्दुसार को अपने विरासत में मिले विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने का श्रेय जाता है। *दिव्यवदान* के अनुसार बिंदुसार के राज्य में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था क्योंकि तक्षशिला की प्रजा दुष्ट प्रशासकों (*अमात्यों*) से असंतुष्ट थी।

बिन्दुसार के काल का चाँदी का सिक्का (कार्षपण)। श्रेयः जीन-मिशेल मौलले। स्रोतः विकिमीडिया कॉमन्स (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:I42_1karshapana_Maurya_Bindusara_MACW4165_1ar_(8486583162).jpg)

बिन्दुसार के शासनकाल में, पश्चिम एशिया के यूनानी शासकों के साथ राजनयिक संबंध जारी रहे। बताया जाता है कि बिन्दुसार ने सीरियाई राजा, एंटिओकस से अच्छी शराब, अंजीर और एक सोफिस्ट (दार्शनिक) भेजने का अनुरोध किया था। इस पर, एंटियोकस ने जवाब दिया कि वह निश्चित रूप से शराब और अंजीर उसे अवश्य भेजेगा किंतु ग्रीक कानून सोफिस्ट (दार्शनिक) बेचने की अनुमति नहीं देता है।

16.3.3 अशोक

1837 तक, अशोक के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसी वर्ष जेम्स प्रिंसप ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखित शिलालेख में देवनामपिय पियादसी (देवताओं का प्रिय) नामक राजा के उल्लेख की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा, *महावंश* के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि इस ग्रंथ में अशोक का उल्लेख है।

273 बी.सी.ई. में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को उत्तराधिकारी बनाया गया। *अशोकवदान* के अनुसार जब अशोक पैदा हुआ था तो उसकी माँ सुभद्रांगी के मुँह से निकला,"मैं शोक रहित" हूँ और इसी तरह उसका नाम अशोक (जो दुःख से रहित है) रखा गया। अपने पिता के शासनकाल के दौरान उसे तक्षशिला और उज्जैन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह माना जाता है कि वह युवराज नहीं था तथा सिंहासन के लिए उसने अपने भाइयों की हत्या की थी।

बिन्दुसार की तरह अशोक को भी विरासत में उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा साम्राज्य के रूप में मिला था। उसके पड़ोस का एकमात्र महत्वपूर्ण क्षेत्र कलिंग (आधुनिक ओडिशा) उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था जिसके कारण वह अशांत रहता था। 260 बी.सी.ई. में उग्र अभियान के परिणामस्वरूप अंततः अशोक ने कलिंग को अपने नियंत्रण में कर लिया। कलिंग रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। यह वन संसाधनों में समृद्ध था और पूर्वी तट के माध्यम से प्रायद्वीप के साथ मौर्य व्यापार मार्ग पर भी था। हालाँकि, सैन्य अभियान बहुत ही विनाशकारी था, जिसमें हजारों लोग मारे गए, और कई कैद कर लिए गए। कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर विनाश ने राजा अशोक को पश्चाताप से भर दिया था। हालांकि, शिलालेख XIII में, अशोक ने लिखा है कि जब एक अजेय क्षेत्र को जीत लिया जाता है तो ऐसी मृत्यु और विनाश अवश्यंभावी है। वह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी किसी भी तरह के रक्तपात से बचें। पश्चाताप करने के बावजूद, अशोक ने परेशानी के सबब बन रहे जंगल के लोगों के लिए चेतावनी जारी की और उसे याद दिलाया कि अपने पश्चाताप की अवधि में भी वह दंड देने की शक्ति रखता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अशोक ने कलिंग के किसी भी स्थान पर अपने पछतावे को शिलालेख के माध्यम से व्यक्त करने से परहेज किया है जहां शिलालेख XIII के स्थान पर प्रतिस्थापित शिलालेख रखा गया। प्रतिस्थापित शिलालेख में वास्तव में वह अधिकारियों को निर्देश देते हैं और अच्छे प्रशासन के मूल्य पर ज़ोर देते हैं।

अशोक स्तंभ, वैशाली, बिहार में। श्रेयः बीपिलग्रिम। स्रोतः विकिमीडिया कॉमन्स (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashoka_pillar_at_Vaishali,_Bihar,_India.jpg)

कलिंग युद्ध में वृहत स्तर पर हुए निर्दोशों के खून से सनी जीत ने अशोक को अंदर से मर्माहित कर दिया। पश्चाताप स्वरूप उसमें बौद्ध धर्म के प्रति रुचि विकसित हुई तथा उसने रूपांतरण की यात्रा शुरू की। हालांकि यह रातोरात रूपांतरण नहीं था, क्योंकि अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभूति पहले से थी। लघु शिलालेख I में उसने स्वीकार किया है कि वह ढाई साल से बौद्ध भक्त है, जिससे पता चलता है कि उसका बुद्ध के शिक्षण की ओर झुकाव अचानक नहीं था।

अशोक के साम्राज्य की सीमा का पता उसके शिलालेखों के प्रसार से लगाया जा सकता है। उनके वितरण से हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य ने उत्तर-पश्चिम में अफ़ग़ानिस्तान में कंधार तक विस्तार किया। पूर्वी सीमा में यह उडिशा तक फैला हुआ था। शिलालेख XIII के अनुसार, सुदूर दक्षिण को छोड़कर शेष उपमहाद्वीप मौर्य शासन के तहत था। शिलालेख II के अनुसार दक्षिण में चोल और पांड्य का शासन था जहाँ बाद में केरलपुत्रों और सतीपुत्रों ने शासन किया। उसके साम्राज्य में विविध मूल और संस्कृतियों के लोग रहते थे। उदाहरण के लिए, उत्तर पश्चिम में कम्बोज और यवनों का उल्लेख है। उनका उल्लेख अन्य लोगों जैसे भोज, पितिनिका, आंध्र और पुलिंद के साथ किया जाता है जो पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ हिस्सों में स्थित हो सकते हैं।

अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। *पुराणों* में बाद के मौर्य शासकों के नामों का उल्लेख है और यह स्पष्ट करते हैं कि उनके शासनकाल की अवधि अपेक्षाकृत बहुत कम थी। साम्राज्य जल्द ही कमज़ोर और विखंडित हो गया और कहा जाता है कि बैक्ट्रियन यूनानियों द्वारा आक्रमण का सामना करना पड़ा था। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसे 187 बी.सी.ई. में उसी के सैन्य कमांडर पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की।

16.4 'साम्राज्य' का निर्माण

पारंपरिक दृष्टिकोण से मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत नौकरशाही साम्राज्य लगता है। ऐसे साम्राज्य की विशेषता है उसका शक्तिशाली राजा जो अपने सैन्य पराक्रम से राज्य में शांति और सामंजस्य स्थापित करता है। सम्राट अपने सहयोगियों को साथ लेकर तथा दुश्मन राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध कायम कर अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। केंद्रीकृत नौकरशाही साम्राज्य में सामाजिक वर्गों के बीच असमानता के होने तथा राजा के कल्याणकारी प्रवृत्ति का न होकर शोषक प्रवृत्ति का होने का उल्लेख है। रोमिला थापर का पहले का मत कि मौर्य साम्राज्य एक समान और केंद्रीकृत प्रशासित इकाई थी, को बाद में उनके द्वारा संशोधित किया गया है। उनके अनुसार, केंद्र में मगध, महानगरीय राज्य था जो मोटे तौर पर स्तंभ अभिलेखों के वितरण के क्षेत्र से जाना जाता था। केंद्रीकृत प्रशासन का क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। दूसरी श्रेणी में वो मुख्य क्षेत्र थे जो कृषि और व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इन पर केंद्र का नियंत्रण कम था। इसका नियंत्रण राज्यपालों और वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ में था। गांधार, रायचूर दोआब, दक्षिणी कर्नाटक, कलिंग और सौराष्ट्र जैसे प्रमुख क्षेत्र तीसरे श्रेणी में राज्य की परिधि पर स्थित क्षेत्र थे जिनकी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन मौर्य राज्य द्वारा नहीं किया गया था। इन राज्यों से केवल संसाधनों का दोहन किया जाता था।

मौर्य क्षेत्र में गैर-स्वदेशी यवनों और साथ ही विभिन्न भाषाई समूहों सहित विभिन्न जातीय समूह शामिल थे। शिलालेख कम से कम तीन भाषाओं, प्राकृत, ग्रीक और एरमेक में पाए जाते हैं। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म, जैन

धर्म, वैदिक और ब्राह्मणवादी प्रथाओं, आजीवकवाद और छोटे पंथों सहित कई धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का प्रचलन था।

राज्य और साम्राज्य में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य मौजूदा संसाधनों से अधिकतम लाभ खींचता है जबकि साम्राज्य, अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिए संसाधनों के पुनर्गठन का प्रयास करता है। साम्राज्य के प्रशासन की वित्तीय ज़रूरतें काफ़ी होती हैं। मौर्य साम्राज्य में, इन ज़रूरतों की पूर्ति कृषि को उन्नत और विकसित करके व व्यापक-वाणिज्यिक विनिमय (थापर, 2002) की शुरुआत करके हुयी। इसके अलावा, इस तरह के एक विशाल क्षेत्र का संचालन विभिन्न प्रशासनिक बिंदुओं के द्वारा हुआ था। इस प्रकार, मौर्य शासकों ने क्षेत्रीय विविधता को अपनी राजनीति में समायोजित किया। जहाँ एक ओर साम्राज्य इन विविधताओं को सहेजते हुए एकीकरण पर ज़ोर देता है वहीं एकरूपता को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए आवश्यक कदम भी उठाता है।

इस प्रकार, साम्राज्यवादी व्यवस्थाएँ साम्राज्य के सिरों को एक साथ खींचने का प्रयास करती हैं, ताकि लोगों और माल की आवाजाही को बढ़ावा दिया जा सके (थापर, 2002)। इस विनिमय लेनदेन में लिपि, आहत सिक्के और एक नई विचारधारा का प्रक्षेपण शामिल है जो नए नियम निर्धारित करता है। मौर्य साम्राज्य के मामले में, राज्य ने *धम्म* की नीति के माध्यम से सांस्कृतिक समरूपता का प्रयास किया।

बोध प्रश्न 1

1) मौर्यों के इतिहास के पुनर्निर्माण के मुख्य स्रोत क्या हैं?

....

....

....

....

....

2) मौर्य 'साम्राज्य' की धारणा पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें।

....

....

....

....

....

16.5 अर्थव्यवस्था

छठी शताब्दी बी.सी.ई. के समय से, शहरीकरण में वृद्धि के साथ-साथ कृषि का निरंतर विस्तार हुआ था। यूनानी लेखक एरियन ने शहरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के बारे में लिखा है। तकनीकी रूप से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मजबूत पायदान पर थी। *अर्थशास्त्र* में लोहे से बने विभिन्न उपकरणों के बारे में उल्लेख है। लोहा कृषि यंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण धातु था तथा उत्पादन में वृद्धि कर साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का आधार था। *अर्थशास्त्र* में लिखा है कि कृषि योग्य भूमि का निर्माण कर इसे विकसित करने हेतु उस क्षेत्र में शूद्रों को बसाना चाहिए। धान की खेती के लिए गहन श्रम की ज़रूरत

होती थी इसे युद्ध बंदियों से पूरा कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद बंदी बनाए गए 1,50,000 नागरिकों को गहन श्रम वाले कृषि कार्य में इस्तेमाल किया गया था। शूद्रों को नई भूमि में बसाने, खेती के लिए आवश्यक बीज और मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराने में राजकोषीय रियायतें दी जाती थी। शूद्रों को आवंटित ऐसी भूमि सीता भूमि कहलाती थी। इस प्रकार, लोहा और जनशक्ति जैसे दो कारको पर नियंत्रण- ने मौर्य काल में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी।

16.5.1 व्यापार और वाणिज्य

मगध राज्य में निम्नलिखित दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता थाः

क) व्यापार और वाणिज्य का विस्तार,

ख) नए शहरों और बाजारों की स्थापना।

वाणिज्य और व्यापार के विस्तार ने मौर्यों को अपने संसाधनों और राजस्व को बढ़ाने में सक्षम बनाया। *जातक* में व्यापारियों द्वारा कारवां के रूप में माल की बड़ी मात्रा को दूर स्थानों पर ले जाने का जिक्र हैं। मौर्य राज्य सुरक्षा और शांति प्रदान करने में सक्षम था और इसलिए व्यापार मार्ग और व्यापार अधिक सुरक्षित हो गए। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के प्रमुख व्यापार मार्ग उत्तर पश्चिमी भारत से होकर गुज़रते थे। मगध में राजगृह और वर्तमान प्रयागराज के निकट कौशाम्बी जैसे प्रमुख केंद्र गंगा और हिमालय की तलहटी वाले मुख्य व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। पाटलिपुत्र एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था जिसके माध्यम से चारों दिशाओं में व्यापार मार्गों और नदी मार्गों तक पहुँचा जा सकता था। उत्तरी मार्ग ने कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली जैसे शहरों को कलसी, हजारा और अंततः पेशावर जैसे शहरों से आपस में जोड़ा। मेगस्थनीज़ ने एक भूमि मार्ग की बात की है जो उत्तरपश्चिम को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। यही भूमि मार्ग दक्षिण मध्य भारत और दक्षिण पूर्व में कलिंग को जोड़ता था। एक पूर्वी मार्ग भी था। यह आंध्र और कर्नाटक तक पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर मुड़ गया था । पूर्वी मार्ग का दूसरा हिस्सा गंगा डेल्टा से ताम्रलिप्ती तक जाता था, जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व के लिए निकास बिंदु के रूप में काम करता था। कौशाम्बी से, पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, एक और मार्ग था जो उज्जैन की ओर जाता था। यह मार्ग पश्चिम की तरफ़ गुजरात तट तक पहुँचता था या पश्चिमी दक्षिण की ओर नर्मदा को पार करता था। इस मार्ग को *दक्षिणापथ* (दक्षिणी मार्ग) कहा जाता था। पश्चिम के क्षेत्रों को जोड़ता यह भूमि भाग इस्लामाबाद के पास तक्षिला से होकर जाता था। राज्य की पहल पर घाटियों के आसपास के जंगलों को साफ करने के बाद नदी परिवहन में सुधार हुआ था। अन्य कारकों जैसे मौर्य राजाओं द्वारा यूनानियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करके बिंदुसार और अशोक ने व्यापार संबंधों में सुधार किया।

मौर्य काल के दौरान कुशल कारीगर एक संघ का हिस्सा थे। इसमें जाने-माने कारीगर, धातुविद, बढ़ई, कुम्हार, चमड़े के काम करने वाले, रंगकर्मी, कपड़ा बनाने वाले आदि शामिल थे। मौर्य राज्य व्यापार के संगठन को उन्नत व विकसित बनाने के प्रति काफ़ी सजग था। यद्यपि यह सीधे तौर पर कारीगरों के संघ में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन कुछ मामलों में इसने उत्पादन और वितरण को नियंत्रित किया था। राज्य ने सीधे तौर पर कुछ कारीगरों जैसे कि हथियार बनाने वाले, जहाज बनाने वाले, पाषाण निर्माता आदि को नियोजित किया था, उन्हें करों के भुगतान में छूट दी गई थी क्योंकि उन्होंने राज्य को अनिवार्य श्रम सेवाएं प्रदान की थीं। अन्य कारीगरों जैसे कि सूत कातने वाले, बुनकरों, खनिकों आदि जो राज्य के लिए काम करते थे उन्हें कर देना पड़ता था।

मौर्य साम्राज्य में शहरीकरण का विस्तार सुदूर पश्चिमी और मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों और दक्षिण भारत तक हुआ था। *गहपति* समृद्ध बन गये और ग्रामीण बस्तियों में काफ़ी विस्तार हुआ। व्यापारियों, सौदागरों और अधिकारियों द्वारा नगर आबाद किए जाने लगे थे। कौटिल्य के *अर्थशास्त्र* के अनुसार, राज्य ने शहर की स्थापना *दुर्गनिवेश* या *दुर्गविधान* की प्रक्रिया के माध्यम से की थी। इन शहरों में पुजारी, कुलीन, सैनिक, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग रहते थे। इस अवधि के शहरी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू नकदी में लेनदेन के लिए धातु से बने सिक्के का व्यापक उपयोग था। छठी शताब्दी बी.सी.ई. में सिक्कों का उपयोग प्रचलित हो गया था तथा वाणिज्य के विकास के कारण सिक्का मुद्रा विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। अधिकारियों के वेतन का भुगतान नकद में किया जाता था।

16.6 *अर्थशास्त्र* और *सप्तांग* सिद्धांत

अर्थशास्त्र पहला दक्षिण एशियाई ग्रंथ है जो राज्य के मूल सिद्धांत को प्रतिपादित करता है व सात घटक तत्वों का वर्णन करता है।। कौटिल्य ने राज्य को समझने के लिए *सप्तांग* सिद्धांत [सात अंतर-संबंधित और अंतरवर्ती घटक अंगों या तत्वों की एक प्रणाली (अंग या प्रकृति)] की अवधारणा प्रस्तुत की है। *सप्तांग*-राज्य की यह अवधारणा कुछ संशोधनों के साथ *धर्मशास्त्रों, पुराणों* और *महाभारत* सहित बहुत बाद के ग्रंथों में स्वीकार की गई थी।

सप्तांग सिद्धांत के सात तत्व निम्नवत हैं :

1) *स्वामी* (राजा)
2) *अमात्य* (मंत्रियों)
3) *जनपद* (क्षेत्र और उसके लोग)
4) *दुर्ग* (एक किले वाली राजधानी)
5) *कोश* (कोषागार)
6) *दंड* (न्याय या बल)
7) *मित्र* (सहयोगी)

राज्य को सात बुनियादी घटकों में विभाजित करने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घटक की व्यक्तिगत ताकत या कमजोरी का आंकलन करने की अनुमति मिलती है। सात घटक तत्वों में से प्रत्येक को आदर्श गुणों के एक समूह द्वारा परिभाषित किया गया है। तत्व बराबर नहीं हैं।

स्वामी

अर्थशास्त्र द्वारा राजशाही को आदर्श माना गया तथा इसके सभी निर्देश राजा को संबोधित किए गए हैं। कौटिल्य के अनुसार, राजा का भाग्य उसकी जनता के साथ निकटता से जुड़ा था। यदि राजा ऊर्जावान होगा तो उसकी प्रजा भी ऊर्जावान होगी। इसके विपरीत यदि वह आलसी है, तो उसकी जनता परम आलसी होगी तथा साम्राज्य पर बोझ होगी। इस प्रकार, कौटिल्य ने सतर्क, मेहनती और समझदार राजा की वकालत की।

अशोक के शिलालेख से हमें राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है जिसका उल्लेख कौटिल्य ने भी किया है। उसके लघु शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने बहुत साधारण उपाधि, ''मगध का राजा'', को धारण किया जो बाद में महान उपाधियों जैसे

महाराजा या *महाराजाधिराज* से बिलकुल विपरीत था। हालांकि, शिलालेखों में उसे *देवनामपिया* ('देवताओं के प्रिय') के नाम से उल्लेखित किया गया है, जो उसे एक दिव्य शासक के रूप में घोषित करता है। अशोक ने शिलालेख I और II में लिखा है कि "मेरे राज्य की सारी प्रजा मेरे पुत्र समान हैं''। इस प्रकार उसने पितृसत्तात्मक राजशाही की नींव रखी। उसने इस दुनिया में और आगे की दुनिया में स्थित सभी प्राणियों और जानवरों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राजाओं के आदर्श निर्धारित किए।

अमात्य

अमात्य एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी, परामर्शदाता और विभिन्न विभागों के कार्यकारी प्रमुख शामिल थे। *अर्थशास्त्र* में दो प्रकार के परामर्शी निकायों की चर्चा है। पहला निकाय, मंत्रों (मंत्रियों) का एक छोटा सलाहकार निकाय था जिसे *मंत्र-परिषद* कहा जाता था तथा दूसरा निकाय विभाग के सभी कार्यकारी प्रमुखों का एक बड़ा निकाय था, जिसे *मंत्री-परिषद* कहा जाता था।

कौटिल्य के अनुसार, प्रशासन में *पुरोहित* (शाही पुजारी) एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। *अर्थशास्त्र* में बताया गया है कि पुरोहित को एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित होना चाहिए तथा उसे *वेदों* का ज्ञान होना चाहिए। पुरोहितों को दिव्य व नैसर्गिक संकेतों की व्याख्या में निपुणता के साथ-साथ राजनीति विज्ञान में भी पारंगत होना चाहिए। पुरोहितों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले वेतन के बारे में कौटिल्य द्वारा दिए आंकड़ों को देखकर पुरोहित के महत्व के बारे में बखूबी समझा जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री, पुरोहित, और सेना के कमांडर को 48,000 *पण* और कोषाध्यक्ष को 24,000 *पण* मिलते थे। यदि कौटिल्य के अनुमान को सच मान लिया जाए तो राज्य प्रशासन द्वारा उच्च अधिकारियों को असाधारण रूप से अच्छी वेतन का भुगतान किया जाता था जो कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा था।

जनपद

साम्राज्य के मान्यता प्राप्त सीमाक्षेत्र को *जनपद* कहा जाता था। *जनपद* राजा के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत था। ग्रन्थ में कृषि उत्पादन के आधार पर आयकर निर्धारित करने का उल्लेख है तथा आयकर को बढाने के लिए राज्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न निवेशों, पुरस्कारों और दंडात्मक रणनीतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त व्यापार के मार्गों, बंदरगाह वाले शहरों के विकास आदि पर राजा द्वारा विशेष ध्यान देना दर्शाता है कि वह आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने की दिशा में सजग था।

दुर्ग

इसे किला भी कहा जाता था जिसका साम्राज्य की सीमा क्षेत्र को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण स्थान था। साम्राज्य के शहरों को किलेबंद कर इसकी सीमा क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाता है। दुश्मनों के हमले से राज्य की रक्षा एवं राज्य के प्रमुख आर्थिक और प्रशासनिक केंद्रों का *दुर्ग* में स्थित होना महत्वपूर्ण था। *अर्थशास्त्र* में उल्लिखित आदर्श राज्य में कई किले हैं, जो भौगोलिक व्यवस्था और उद्देश्य में भिन्न हैं। किलों में सबसे बड़ा राजधानी शहर है, जो राज्य के लिए एक प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य केंद्र के रूप में संचालित होता है। कौटिल्य ने लिखा है कि *दुर्ग* का निर्माण मिट्टी की ईंट और पत्थर से किया जाता था तथा इसके प्राचीर एवं पैरापेट इसे भव्य बनाते थे। *दुर्ग* के अंदर अनाज और आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि ग्रीक लेखों में इसी तरह के भव्य पैमाने पर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन है।

कौटिल्य ने किले के पास सैनिकों को तैनात करने का भी सुझाव दिया है। उसने चार मुख्य भागों – पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथियों के साथ एक स्थायी सेना का भी उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों से हमें पता चलता है कि उसने कलिंग युद्ध के बाद *धम्म-विजय* (धम्म के माध्यम से जीत) पर ज़ोर दिया। किंतु उसने सेना को सतर्क रखा और इसे भंग नहीं किया।

दंड

न्याय स्थापित करने में प्रयुक्त बल को ही *दंड* कहा जाता है। *अर्थशास्त्र* में राज्य की न्यायिक प्रणाली को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में *धर्मास्थ* (न्यायाधीशों) और *प्रादेश्त्री* (अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी) का महत्वपूर्ण योगदान था। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना से लेकर अंग भंग करने से लेकर मृत्युदंड तक की सजा दे दी जाती थी। कौटिल्य के अनुसार, सजा की प्रकृति न केवल अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करती थी, बल्कि अपराधी की जाति पर भी निर्भर करती थी। एक ही अपराध के लिए उच्च वर्णों के लिए हल्की सजा का प्रावधान था। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षत्रिय का ब्राह्मण महिला के साथ यौन संबंध है, तो उसे उच्चतम जुर्माना देना होता था। उसी अपराध के लिए, एक वैश्य की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी तथा सबसे खराब सजा शूद्रों के लिए आरक्षित थी।

अशोक के शिलालेखों में राज्य की न्यायिक जिम्मेदारियां शहर के *महामात्यों* के पास थी। शिलालेख में *महामात्यों* से आग्रह किया गया है कि वह निष्पक्ष होकर यह सुनिश्चित करें कि राज्य की जनता को पर्याप्त सबूतों के बिना कैद या दंडित न किया जाए। स्तंभ शिलालेख IV में अशोक ने समान (समता) न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने का उल्लेख किया है। इसका मतलब यह निकाला गया कि उसने *दंड* में जाति भेद को समाप्त करते हुए एक समान नियम कानून स्थापित किया था।

मित्र

राज्य के राजनीतिक सहयोगियों को *मित्र* कहा जाता है। *विजिगीशु* यानी सम्भावित विजेता को कौटिल्य की राजनीति के केंद्र में रखा गया है। *विजिगीशु* से सम्बंधित तत्व – *अरी* (शत्रु), *मध्यम* (मध्य राजा), और *उदासीन* (उदासीन या तटस्थ राजा) अंतर-राज्य नीति के निर्धारण में उपयोगी थे। कौटिल्य ने विभिन्न नीतियों और रणनीतियों को सूचीबद्ध किया जिसे राजा परिस्थितियों के अनुसार अपना सकता था जैसे यदि दुश्मन शक्तिशाली है तो शांति संधि (*संधि*), कमज़ोर है तो विग्रह (*शत्रुता*)। अन्य विकल्पों में सैन्य अभियान या दुश्मनों के दुश्मन के साथ सहयोग बनाकर एक साथ हमला करना शामिल था।

अशोक ने व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम में हेलेनिस्टिक राज्यों में मिशन भेजे। इनमें से सबसे प्रमुख था सेल्युकस के साथ मौर्य संबंध, चंद्रगुप्त के तहत हस्ताक्षरित संधि आदि। बाद के शासकों के साथ राजनयिक आदान-प्रदान जारी रहा। अशोक ने अन्य समकालीनों का भी उल्लेख किया है जिनके साथ उसने मिशनों का आदान-प्रदान किया। उनके शिलालेखों में यूनानी राजा अम्तियोग के साथ-साथ तुलमैया के राजाओं की भूमि, अनीतिका, मेक और अलिक्यशुदला का उल्लेख है। इतिहासकारों द्वारा क्रमशः सीरिया के एंटिओकस II (260-246 बी.सी.ई.), मिस्र के टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फ़स (285-247 बी.सी.ई.), मैसिडोनिया के एंटीगोनस गोनाटस (276-239 बी.सी.ई.), सिरीन के मैगास और एपीरस के अलेक्ज़ेंडर के रूप में पहचाना गया है। अशोक ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पड़ोस के राज्यों में *धम्म* और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए विशेष मिशनों को भेजा।

16.7 प्रशासन

मौर्य साम्राज्य एक विशाल क्षेत्रीय इकाई थी। इसे अच्छी तरह से संचालित करने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता थी। *अर्थशास्त्र*, यूनानी लेखों और अशोक के शिलालेखों से हमें उस समय के प्रशासनिक प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना को कई अंगों में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक अंग का प्रत्यक्ष शासन राजकुमार (*कुमार*) के तहत था। शिलालेखों में चार प्रांतों का उल्लेख है – दक्षिण प्रांत जिसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी, उत्तर प्रांत जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, पश्चिम प्रांत जिसकी राजधानी थी उज्जयिनी तथा पुरब प्रांत जिसकी राजधानी थी, तोसाली। अशोक के शिलालेखों में इन प्रांतों के कुमार को *राज्यपाल* के रूप में उद्धृत किया गया है तथा महत्वपूर्ण पदों पर शाही राजकुमारों को नियुक्त करने की परंपरा को जारी रखने का सुझाव दिया गया है।

साम्राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को *प्रादेशिक* कहा जाता था जिन्हें हर पांच साल में साम्राज्य का दौरा करने और ऑडिट करने के साथ-साथ प्रांतीय प्रशासन पर नज़र रखने का काम सौंपा गया था। इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारी, *राजुक* थे, जिन्हें न्यायिक कार्यों के साथ साथ अक्सर राजस्व के मूल्यांकन का कार्य भी करना पडता था। विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे कि अधिशेष उत्पादन, अधिशेष की निकासी, इसका वितरण, क्षेत्रों को जीतने के लिए मजबूत सेना, व्यापारियों और किसानों से कर संग्रह आदि के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासन की आवश्यकता थी ।

मौर्य प्रशासन के विवरण निम्नवत है।

16.7.1 केंद्रीय प्रशासन

केंद्रीय प्रशासन को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

क) राजा

ख) मंत्रिपरिषद

ब) शहर प्रशासन

घ) सेना

ड़) जासूसी नेटवर्क

च) कानून और न्याय

छ) लोक कल्याण

अब इनमें से प्रत्येक श्रेणी के बारे में चर्चा विस्तार से।

क) **राजाः** राजा को मानक ग्रंथों में भी प्रधानता दी गई है। *अर्थशास्त्र* में राजा को प्रशासन का मुख्य केंद्र माना गया है। उनके पास मंत्रियों (*अमात्य*) को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति थी। राजा का काम राजकोष की रक्षा, प्रजा की सुरक्षा करना; लोगों के कल्याण व देखभाल कर; अपराधियों को दंडित करना आदि था। राजा अपने नैतिकता के बल पर लोगों (*प्रजा*) को प्रभावित करने में समर्थ था। *अर्थशास्त्र* के अनुसार, यदि शास्त्रीय निर्देश राजा के निर्णय से भिन्न है तो राजा का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

ग्रंथों में राजा के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताया गया है। ये हैंः उच्च परिवार में जन्म; राजाओं और अधिकारियों को नियंत्रित करने की क्षमता; तेज बुद्धि; सत्यवादिता; और धर्म का पालन करने वाला। उसे एक कुशल योद्धा होना चाहिए, आर्थिक रूप से सम्पन्न और लेखन (लिपि) कला में परिपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, ग्रंथ कुछ पूर्व शर्त निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें राजा को पूरा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, उसे सभी मामलों पर बराबर ध्यान देना चाहिए; कार्रवाई या सुधारात्मक उपाय करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहें; उसे हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए; अपने सलाहकारों और अधिकारियों के लिए सुलभ हो। मेगस्थनीज़ और अशोक के ग्रंथों से यह पता चलता है कि राजा के लिए निर्दिष्ट इन विशेष कर्तव्यों का पालन मगध राजाओं द्वारा किया जाता था।

राज्य की प्रजा के साथ पिता तुल्य व्यवहार करने के कारण अशोक एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता है। वह अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के बारे में सजग व सतर्क रहता था, लेकिन साथ ही वह एक पूर्ण सम्राट था। उसने अपने को *देवनामपिया* (देवताओं का प्रिय) घोषित किया था तथा रोमिला थापर के अनुसार उसने बिचौलियों, पुजारियों को अलग-थलग कर अपने को दिव्य शक्ति के रूप में प्रचारित किया। इससे यह पता चलता है कि राजा धार्मिक मामलों में भी अपने अधिकार का प्रयोग बखूबी करता था।

ख) **मंत्रिपरिषद**ः *अर्थशास्त्र* एवं अशोक के ग्रंथों में भी मंत्रिपरिषद (*मंत्रिपरिषद*) का उल्लेख है। *अर्थशास्त्र* में उल्लेख किया गया है कि राज्य मंत्रियों की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकता था। शिलालेख III के अनुसार मंत्री परिषद का मुख्य कार्य परिषद के विभिन्न श्रेणियों द्वारा प्रशासनिक कार्य अच्छी तरह से कराना था। इसी तरह, शिलालेख VI में उल्लेख किया गया है कि मंत्रीपरिषद राजा की अनुपस्थिति में उनकी नीति पर चर्चा कर सकते थे; संशोधन का सुझाव दे सकते हैं तथा राजा द्वारा परिषद के लिए छोडे गए महत्वपूर्ण मामले पर अपनी राय दे सकते थे। फिर भी परिषद को तुरंत अपनी राय राजा तक पहुंचानी पड़ती थी। परिषद की प्राथमिक भूमिका सलाहकार की थी। राजा का निर्णय सभी प्रकार से अंतिम होता था।

परिषद (*भुवयीस्ट*) में बहुमत की राय सर्वोपरी होती है। ऐसे मामलों में जहां बहुमत का फैसला स्वीकार्य नहीं था, राजा का फैसला अंतिम होता था। भावी मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता निर्दिष्ट थे।

ये योग्यताएँ थींः उन्हें धन का लालच नहीं होना चाहिए; किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए; उसे सर्वपदशुद्ध (सभी से शुद्ध) होना चाहिए। मंत्रियों की एक आंतरिक परिषद (*मन्त्रिन*) भी थी, जिन्हें उन मुद्दों पर परामर्श देना होता था जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी।

ग) **शहर प्रशासन**ः मेगस्थनीज़ ने पालिबोथरा (पाटलिपुत्र) के संबंध में नगर प्रशासन के कई संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। उनके ग्रंथ में, नगर परिषद को छह उप-परिषदों या समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य होते थे। इन समितियाँ के बारे में संक्षिप्त चर्चाः

पहली समितिः यह उद्योग और शिल्प की देखभाल करती थी। यह समिति इन केंद्रों का निरीक्षण करती थी तथा मजदूरी/वेतन तय करने सम्बंधी कार्य भी करती थी।

दूसरी समितिः यह समिति विदेशियों की देखभाल करती थी। यह समिति विदेशियों के रहने, भोजन, आराम और सुरक्षा की व्यवस्था आदि का कार्य करती थी।

तीसरी समिति: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कार्य इस समिति के जिम्मे था।

चौथी समिति: यह समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। सामान का सही वजन, नाप-तौल तथा बाजारों का निरीक्षण आदि कार्य भी इस समिति के जिम्मे था।

पांचवीं समिति: निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण, उनकी बिक्री का प्रावधान तथा नए और पुराने सामान की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण का कार्य इस समिति के जिम्मे था।

छठी समिति: यह बेची गयी वस्तुओं पर कर एकत्र करती थी; दर 1/10 थी।

यद्यपि *अर्थशास्त्र* में ऐसी किसी समितियों का उल्लेख नहीं है, किंतु ऊपर वर्णित कार्यों का उल्लेख अवश्य किया गया है। उदाहरण के लिए, चौथी समिति के कार्य *पणयाध्यक्ष* द्वारा किया जाता था, करों का संग्रह (छठी समिति) *शुल्काध्यक्ष* की जिम्मेदारी थी और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण *गोप* का काम था। नगरीय प्रशासन के प्रमुख को *नगरिका* कहा जाता था। उन्हें दो अधीनस्थ अधिकारियों– *गोप* और *स्थानिका* की सहायता प्रदान की गई थी। अन्य अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है जैसे कि *बंधनगरध्यक्ष* (जेल की देखभाल); *रक्षी* (यानी पुलिस; लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने वाला); *लोहध्यक्ष, सौवर्णिका* (वे अधिकारी जो केंद्रों में निर्मित सामानों की देखभाल करते थे) आदि।

नगर प्रशासन विस्तृत और सुनियोजित था। विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न प्रावधान निर्धारित थे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं था। गलत काम करने पर पुलिस को भी दंडित करने का प्रावधान था। इसी तरह, नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए गए नागरिकों को भी दंडित किया जाता था ।

घ) **सेना**: *अर्थशास्त्र* में कलिंग युद्ध, सेल्यूकस का पीछे हटने तथा सेना के बारे में वर्णनात्मक लेख से पता चलता है कि मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, परिवहन और बेड़े शामिल थे। ग्रीक और भारतीय दोनों साहित्यिक स्रोत इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना जो नंद राजाओं के खिलाफ लड़ी थी, उसमें भाड़े के सैनिक भी शामिल थे। प्लिनी के लेखों के अनुसार, चंद्रगुप्त की सेना में 9000 हाथी, 3000 घुड़सवार और 6000 पैदल सैनिक शामिल थे। प्लूटार्क के लेख में 6000 हाथियों, 80000 घोड़ों, 20000 पैदल सैनिकों और 8000 युद्ध रथों की चर्चा है।

कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ में एक स्थायी सेना के चार मुख्य विभागों – पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथियों के बारे में लिखा है। इनमें से प्रत्येक डिवीजन को एक कमान अधिकारी के अधीन रखा गया था, जिन्हें क्रमशः *पत्याध्यक्ष, अश्वाध्याक्ष, रथाध्यक्ष,* और *हस्ताध्यक्ष* के नाम से जाना जाता है। मेगस्थनीज़ ने इसी तरह नौसेना, उपकरण और परिवहन, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथों और हाथियों की निगरानी के लिए पांच सदस्यों की छह समितियों की व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके अलावा, सेना के लिए चिकित्सा सेवा का भी प्रावधान था।

आयुद्धगाराध्यक्ष जैसे अधिकारी भी थे जो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के उत्पादन और रखरखाव का काम देखते थे। *अर्थशास्त्र* में भर्ती नीति, युद्ध योजनाओं और किलेबंदी का भी उल्लेख है। अधिकारियों और सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था। सेना के अधिकारियों का वेतन 4000 *पण* - 48000 *पण* के बीच था।

ड़) **जासूसी नेटवर्क**: *अर्थशास्त्र* में एक सुसंगठित जासूसी प्रणाली का उल्लेख है। जासूसों को मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों पर नज़र रखने, नागरिकों के राज्य के बारे में विचार पता करने और विदेशी राजाओं के रहस्यों को जानने का कार्य था। वह तत्कालिक मामलों की सूचना सीधे राजा को देते थे। वे न केवल भेस बदल के चलते थे बल्कि जानकारी एकत्र करने के लिए नाइयों, रसोइयों आदि से भी भेद प्राप्त करते थे। *अर्थशास्त्र* में इन जासूसों के संबंध में विस्तार से उल्लेख है। इसके दो प्रकार होते थेः स्थिर (*संस्था*) और घमुंतु (*संचार*)। इसे फिर नौ भागों में उपविभाजित किया गया था। *अर्थशास्त्र* के अनुसार, गुप्त सेवा का प्रमुख *समाहर्ता* कहलाता था, जिसे मुख्य रूप से राजस्व संग्रह का काम सौंपा गया था। साथ ही एक और कार्य राजा को सुरक्षा प्रदान करना था। वास्तव में, राजा के अंगरक्षक में महिला तीरंदाज शामिल थी जो राजा के साथ शिकार पर भी जाती थी। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा महिलाओं को जासूस के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

च) **कानून और न्याय**: राज्य की सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन और राजस्व के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए साम्राज्य में एक व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था थी। *अर्थशास्त्र* में विभिन्न अपराधों के लिए कई तरह के दंडों के बारे में जिक्र है। इनमें विवाह उल्लंघन से सम्बंधी कानून, तलाक, हत्या, चोरी, मिलावट, गलत वजन आदि का उल्लेख किया गया है। विवादों को निपटाने और अपराधियों को दंडित करने के लिए विभिन्न प्रकार की अदालतें थीं।

अर्थशास्त्र में *धर्मस्थ* (न्यायाधीशों) और *प्रादेश्त्री* (अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी) के बारे में विस्तार से वर्णन है। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना से लेकर अंग-भंग, यहां तक कि मृत्युदंड तक की भी सजा हो सकती थी।

राजा सर्वोच्च न्यायकर्ता एवं धर्म धारक होता था। यद्यपि अपराध कम होते थे तथा राजा के समक्ष मामलों की अपील *मध्यस्थों* के एक निकाय के माध्यम से प्रस्तुत की जाती थी। अशोक के शिलालेखों में न्यायिक जिम्मेदारियां शहर के *महामात्य* के जिम्मे थी। ग्रंथों में उल्लिखित है *महामात्य* को निष्पक्ष होना चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त सबूतों के बिना किसी को दंडित न किया जाए। शिलालेख I में उल्लेख है कि राजा द्वारा हर पांच साल में एक सज्जन अधिकारी जो न ज्यादा कठोर हो और न ज्यादा निष्ठुर, को न्याय सम्बंधी कार्यकलाप का निरीक्षण के लिए अधिकृत किया जाएगा जो अपनी रिपोर्ट समय से राजा को प्रस्तुत करेगा।

छ) **लोक कल्याण**: अशोक के कई शिलालेखों से स्पष्ट है कि वह अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था। मौर्य के शासनकाल के दौरान कई लोक कल्याणकारी कार्य किए गए थे। उदाहरण के लिए, राज्य द्वारा सिंचाई को सर्वोपरि माना गया। मेगस्थनीज़ ने उन अधिकारियों का उल्लेख किया है जो सिंचाई का पर्यवेक्षण करते थे। सिंचाई के साधनों और जल संसाधनों के प्रकारों को संरक्षण दिया गया था, और इसे क्षति पहुँचाने वाले को दंडित किया जाता था। राज्य ने लोगों को अपनी पहल पर बांधों की मरम्मत के लिए प्रोत्साहित किया और बदले में राजस्व में छूट दी गयी। जूनागढ़ रुद्रदामन के शिलालेख (दूसरी शताब्दी सी. ई.) के अनुसार, चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। राज्य ने सड़कों की मरम्मत भी की तथा ज़रूरतमंदों को चिकित्सा उपचार और दवाएं उपलब्ध कराई जाती थी। विभिन्न प्रकार के वैद्य और चिकित्सक (*चिकत्सक*), दाइयों (*गर्भव्याधि*) आदि के बारे में भी उल्लेख मिलता है। अशोक ने आह्वान किया कि राज्य में अनाथ, बूढ़ी महिलाओं की देखभाल की जानी चाहिए। नागरिकों को अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार, राज्य ने अपने राजस्व का एक निश्चित हिस्सा अपने प्रजा के कल्याण में लगाया।

16.7.2 जिला और ग्राम स्तरीय प्रशासन

अर्थशास्त्र के अनुसार, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी। कुछ गांवों को मिलाकर एक जिला तथा कई जिलों को मिलाकर प्रांत बनाया गया था। प्रत्येक जिले में इसकी सीमाओं, पंजीकृत भूमि के रिकॉर्ड तथा जनसंख्या की जनगणना और पशुधन के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक *लेखाकार* होता था। हर जिले के लिए एक कर संग्राहक भी था, जो विभिन्न प्रकार के राजस्व के लिए जिम्मेदार था। ग्राम स्तर पर, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम प्रधान का था, जो जिला लेखाकार और कर संग्राहक के प्रति जवाबदेह था।

जिला स्तर पर प्रशासन चलाने के लिए सूचीबद्ध अधिकारी होते थे जो *प्रदेशिका, राजुका* और *युक्त* कहलाते थे। *प्रदेशिका* जिले का समग्र प्रभारी तथा *युक्त* कनिष्ठ अधिकारी होता था जो अन्य दो को सचिवीय प्रकार की सहायता प्रदान करता था। अधिकारियों को भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन; पर्यटन और निरीक्षण; राजस्व संग्रह; तथा कानून और विधि व्यवस्था बनाए रखना आदि कार्य करने की जिम्मेदारी थी।

कई बार राजा इन अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में रहता था। चौथे स्तंभ के संस्करण में उल्लेख किया गया है कि अशोक ने *राजुकों* को लोक कल्याण से संबंधित कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए 'स्वतंत्र अधिकार' प्रदान किया था। इसके अलावा, प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों की शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता था।

गाँव में अधिकारियों के रूप में नियुक्त स्थानीय लोगों को *ग्रामिका* कहा जाता था। *गोप* और *स्थानिका* दो प्रकार के अधिकारी थे, जो जिला और ग्राम स्तर की प्रशासनिक इकाइयों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। उन्हें निम्नलिखित काम सौंपा गया थाः गांव की सीमाओं का सीमांकन; भूमि का रेकॉर्ड बनाए रखना; लोगों की आय और व्यय का रेकॉर्ड रखना, कर का रेकॉर्ड रखना, राजस्व और जुर्माना आदि। इन अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद, गांवों के लोग अपने निजि मामलों का कुछ हद तक स्वंय निपटारा कर स्वायत्तता का आनंद लिया करते थे।

प्रशासनिक प्रणाली काफ़ी हद तक करों के कुशल संग्रह के इर्द-गिर्द घूमती है। हमें लुम्बिनी में अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि भू-राजस्व दो प्रकार का था – *बली* और *भाग*। कर का निर्धारण क्षेत्र के आधार पर होता था। कर का निर्धारण भूमि के उत्पादन के एक चौथाई से लेकर 1/6 तक होता था। उपज का एक चौथायी हिस्सा किसानों द्वारा कर के रूप में भुगतान किया जाता था। उन्हें कुछ भेंट के रूप में भी देना होता था। भूमि कर (*भाग*) राजस्व का मुख्य स्रोत था। यह उपज के 1/6 वें हिस्से के रूप में लगाया गया था। यह मौर्य काल में अधिक हो सकता था। अशोक के लुम्बिनी संस्करण में कहा गया है कि बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा के दौरान, उन्होंने गाँव को *बली* के भुगतान से छूट दी और भाग के भुगतान को 1/8वां कर दिया। बटाईदारी एक और तरीका था जिसके द्वारा राज्य में कृषि संसाधनों को एकत्रित किया जाता था। बटाईदारों को कृषि योग्य भूमि के साथ साथ बीज, बैल आदि उपलब्द्ध कराए जाते थे तथा किसान द्वारा राज्य को उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में चुकाना होता था। अन्य प्रकार के कर भी प्रचलित थे। किसान *पिंडकर* नामक कर का भुगतान करते थे जिसका भुगतान कृषकों द्वारा किया जाता था, जिसका आकंलन गाँवों के समूह द्वारा किया जाता था। यह एक प्रकार की प्रथा थी। गांवों के लोग अपने क्षेत्रों से गुज़रती सेना को रसद उपलब्ध कराते थे। उस समय *हिरण्य* नाम का कर था जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसका भुगतान नकद में किया जाता था। कुछ कर स्वैच्छिक थे जैसे *प्रणयकर*, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्नेह का उपहार। सर्वप्रथम पाणिनि ने इसका उल्लेख किया तथा कौटिल्य ने इसका विस्तार से वर्णन किया। यह कर

भूमि की मिट्टी की प्रकृति के अनुसार उपज का एक तिहाई या एक चौथाई होता था। समय के अनुसार यह अनिवार्य बन गया।

मेगस्थनीज़ ने यह भी माना कि सभी भूमि राजा की है, और काश्तकार इस शर्त पर भूमि को जोतते थे कि उन्हें उपज का एक चौथाई हिस्सा उपज के रूप में कर देना होगा। अन्य ग्रीक लेखों से यह प्रतीत होता है कि राजा की भूमि की खेती के लिए कृषक को उपज का एक चौथाई हिस्सा मिलता था। इन लेखों में शासक भूमि का जिक्र है जिसे *सीता* कहा जाता था। इसका नाम शासक द्वारा रखा गया था और उसे अपनी भूमि (*स्वभूमी*) के रूप में नामित किया गया था। इस शासक भूमि को राज्य की देखरेख में, बटाईदार या किरायेदार काश्तकारों द्वारा जोता जाता था तथा कर का भुगतान तथा कभी कभी खेती के एवज में उन्हें मजदूरी दी जाती थी। *अर्थशास्त्र* में, कृषि के एक *सीताध्यक्ष* अधीक्षक का उल्लेख किया गया है, जो सम्भवतः सीता भूमि की खेती का पर्यवेक्षण करते थे।

मौर्य राज्य में शेष भूमि, जिसे *जनपद* प्रदेश के रूप में जाना जाता है, संभवतः निजी कृषकों के अधीन थी। *जातक, गहपति* एवं *ग्रामभोजक* का जिक्र हैं जिसके बारे में कहा गया है कि वे राज्य में सिंचाई की व्यवस्था के लिए मजदूरों को रखते थे तथा यह दर्शाता है कि वे भूमि के मालिक थे। कृषि के सुदृढ़ीकरण के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। *अर्थशास्त्र* में एक जल उपकर का उल्लेख किया गया है जो उपज का पांचवां, एक चौथाई या एक तिहाई होता था। इस तरह के क्षेत्रों में केवल सिंचित भूमि पर उपकर लगाया जाता था, जो दर्शाता है कि राज्य जहाँ भी वर्षा होती है, वहाँ सिंचाई सुविधाओं को नियंत्रित करता है। जैसा कि पहले कहा गया था, करों के माध्यम से भू राजस्व का संग्रह राज्य का एक महत्वपूर्ण मामला था। इसके सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी *समाहर्ता* कहलाते थे। *सन्नीधाता* राज्य कोषागार का प्रमुख संरक्षक होता था। चूंकि उत्पाद उपज के रूप में भी एकत्र किया जाता था, अनाज के भंडारण की सुविधा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी थी।

दास-कर्मकारों के द्वारा श्रम उपलब्ध कराया जाता था जिसे दास व किराये के श्रमिक कहा जाता था। *अर्थशास्त्र* के अनुसार मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों में मजदूर, बंधुआ मजदूर और दास शामिल थे।

16.8 समाज

मेगस्थनीज़ और बाद के यूनानी लेखकों ने मौर्य काल में भारतीय समाज का वर्णन सात अलग-अलग समूहों – दार्शनिकों, कृषकों, शिकारियों और चरवाहों, कारीगरों और व्यापारियों, सैनिकों, अवेक्षक (जासूसों) एवं राजा के परामर्शदाताओं के रूप में किया है। ग्रीक लेखक इन समूहों को सात 'जीनोस' के रूप में वर्णित करते हैं। मेगस्थनीज़ ने नोट किया कि इन समूहों के व्यवसाय वंशानुगत प्रकृति के थे। समूहों के बीच अंतर-विवाह की अनुमति नहीं थी। जाति व्यवस्था के कार्यकलाप की ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आइए हम मेगास्थनीज़ की श्रेणियों का अन्य प्राथमिक स्रोतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें:

मेगस्थनीज के अनुसार भारत में उच्च स्तरीय सामाजिक स्थिति के लोग थे जिन्हें' दार्शनिक' (परिष्कारक और दार्शनिक) कहा जाता था। स्ट्रैबो ने उन्हें आगे दो समूहों में विभाजित किया, *ब्राकमनेज़* (ब्राह्मण) और *गार्मनेज़* (श्रमण)। इनका काम भविष्यवाणी करना था तथा ये सार्वजनिक लाभार्थी के रूप में जाने जाते थे। इन्हें करों के भुगतान से छूट दी गयी थी। हम अन्य ग्रन्थों से जानते हैं कि ब्राह्मणों और श्रमणों का वर्णन बाद के समय में सामान्य शब्दों में किया गया है। ये तपस्वी समूहों और संप्रदायों की एक श्रृंखला के थे जिनमें बौद्ध, जैन, आजीवक, आदि शामिल थे।

दूसरी श्रेणी के बारे में, मेगस्थनीज़ लिखते हैं कि खेती करने वाले का समूहों सबसे बड़ा था। जाहिर है, आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि कार्य में लगा हुआ था। ग्रीक लेखक कृषि कार्य के विस्तृत ढांचे से अचंभित थे। ग्रीक लेखक अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, नदियों की उपस्थिति और भरपूर वर्षा के लाभदायक संयोजन के कारण प्राप्त फसलों की विविधता की बात करते हैं।

मेगस्थनीज़ द्वारा उल्लिखित तीसरी श्रेणी शिकारी और चरवाहों की है। मेगस्थनीज़ के अनुसार ये लोग कृषि बस्तियों के बाहर रहते थे। शिकारी और संग्रहकर्ता अवांछित जानवरों और पक्षियों का शिकार करते थे तथा पर्यावरण संतुलन के वाहक होते थे। *अर्थशास्त्र* के अनुसार, जंगलों को निजी तौर पर साफ नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसकी निगरानी राज्य द्वारा की जाती थी। वन उपज को एकत्र करने और उस पर कर लगाने का कार्य राज्यों का था। गाँवों के भीतर भी जानवरों के पालन-पोषण जैसी गैर-कृषि गतिविधियों का पालन किया जाता था। कौटिल्य ने उन जानवरों को भी सूचीबद्ध किया, जिन पर कर लगाया गया था।

मेगस्थनीज़ का चौथा समूह गैर-कृषि गतिविधियों – कारीगरों और व्यापारियों से संबंधित है। ग्रीक लेखकों का सुझाव है कि सभी कारीगरों (*टेक्नीताई*) को राज्य द्वारा नियोजित किया गया था और करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी। स्ट्रैबो के अनुसार, स्वतंत्र कारीगरों के अलावा, शस्त्र बनाने वाले व जहाज निर्माता राज्य द्वारा नियोजित थे और इन्हें वेतन का भुगतान किया जाता था। अधिकांश कारीगर या तो व्यक्तिगत रूप से या संघ के सदस्य के रूप में काम करते थे। ये संघ – *श्रेणी* या *पुग* – धीरे-धीरे शक्तिशाली बन गए और धार्मिक संप्रदायों और कला के संरक्षक के रूप में बेहद प्रभावशाली थे। मेगस्थनीज़ की यह धारणा कि भारतीय उधार नहीं लेते थे या ब्याज पर पैसा उधार नहीं देते थे, गलत साबित हुई, क्योंकि शुरुआती समय से उधार लेन-देन किया जाता था।

यूनानियों द्वारा नोट किया गया पांचवा समूह सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा समूह था। मौर्यों के पास एक बड़ी सेना थी। विभिन्न स्रोतों से इनके आकार व प्रकार के बारे में अलग अलग जानकारी उपलब्ध है। प्लिनी के अनुसार, सेना में 700 हाथी, 1,000 घोड़े और 80,000 पैदल सेना शामिल थे। इसके विशाल आकार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सेना में भर्ती केवल क्षत्रिय या पारंपरिक योद्धा समूह ही नहीं था। इतनी बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए बडे संसाधनों की ज़रूरत होती थी तथा राजा द्वारा इसकी क्षति-पूर्ति के लिए प्रजा पर अतिरित टैक्स लगाया जाता था।

सेना के साथ घनिष्ठता से जुड़ा छठा समूह था, *अवेक्षक* (जासूस या निरीक्षक)। ग्रीक लेखों के अनुसार वे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। हालांकि, कौटिल्य ने सिफारिश की है कि जासूस की रिपोर्ट स्वीकार्य होने से पूर्व इसकी तीन अन्य स्रोतों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

मेगस्थनीज़ द्वारा उल्लिखित अंतिम समूह राजा का परामर्शदाता होता था। यह समूह संख्या में सबसे छोटा था। इसमें सेना के जनरलों, राजस्व प्रमुखों आदि सहित विभिन्न क्षेत्र के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया था। भारतीय स्रोतों में इस समूह के निकटतम समकक्ष *अमात्य* या मंत्री होते थे।

हालांकि मेगस्थनीज़ को लगता था कि भारत में गुलामी की कोई अवधारणा नहीं थी। दूसरी ओर, हम उन परिस्थितियों के अन्य स्रोतों से अवगत हैं जिनके कारण दासता पैदा हुई। एक व्यक्ति या तो जन्म से गुलाम हो सकता है, स्वेच्छा से खुद को बेचकर, युद्ध में कैद होने

से, या न्यायिक सजा के परिणामस्वरूप। उस काल में *विष्टी* नामक एक कर का भी पता चलता है जिसका भुगतान श्रम के रूप में किया जाता था। कौटिल्य ने भी ऐसे विभिन्न प्रकार के दासों का वर्णन किया है।

मेगस्थनीज़ की इंडिकाः एक अध्ययन

मेगस्थनीज़ मूल रूप से, आर्कोशिया के गवर्नर (वर्तमान अफ़ग़ानिस्तान का कंधार क्षेत्र) सिबिरव्योस के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का एक प्रतिनिधि था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के बाद, मेगस्थनीज़ को सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। भारत में अपनी यात्रा और अनुभवों के आधार पर, उन्होंने *इंडिका* नामक एक पुस्तक लिखी। दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ गुम हो गया। इस पुस्तक के बचे कुचे अंश जो हेलेनिस्टिक दुनिया से संबंधित है, बाद के लेखकों (डायोडोरस, स्ट्रैबो, एरियन और प्लिनी) द्वारा उद्धरण के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। मेगस्थनीज़ ने भारत में जो कुछ भी देखा जैसे, इसका आकार और प्रकार, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, पौधे, जानवर, कृषि उपज, प्रशासन, समाज और लोककथाएँ आदि, इन सभी का *इंडिका* में वर्णन किया है। उपमहाद्वीप के जानवरों ने विशेष रूप से ग्रीक लेखकों और उनके दर्शकों को मोहित किया था। अनोखे जानवर जैसे हाथी, बंदर और गतिविधियां जैसे घोड़ा प्रशिक्षण, हाथी प्रशिक्षण आदि के बारे में विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने इसका अपने देश के साथ समानता का भी उल्लेख किया है, विशेष रूप से किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के संदर्भ में।

क्या मेगस्थनीज़ एक विश्वसनीय इतिहासकार था? यह एक बहस का विषय है। इसके लेखों में कई बेतुके बयान हैं जो हमें मेगस्थनीज़ के बारे में ख्याल बदलने को विवश करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कोई गुलामी नहीं थी, या कि भारतीयों ने कभी झूठ नहीं बोला, चोरियाँ नहीं होती थी, किसानों को कभी भी युद्ध में नहीं शामिल किया गया, भारतीयों ने उधार लेन-देन नहीं किया आदि। उपमहाद्वीप के अन्य स्वदेशी स्रोतों के साथ इसका मिलान करने पर पता चलता है कि ये कथन सत्य नहीं हैं।

इस प्रकार, ग्रीक स्रोतों से मौर्य के बारे में जानकारी एक दोहरे निस्यंदक (double filter) के माध्यम से हमारे पास आती है – पहली मेगस्थनीज़ की व्याख्या थी जो उसने देखी या सुनी थी, और दूसरी, बाद के ग्रीक-रोमन लेखकों द्वारा मेगास्थनीज़ के तथ्यों की व्याख्या थी। एक इतिहासकार के रूप में इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, लेखकों की मूल धारणाओं और उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए जो बाद में बड़े पैमाने पर चर्चा करते हैं। प्राचीन काल के ग्रंथों का अध्ययन एक जटिल प्रक्रिया है और इस तरह के निस्यंदक को हटाने की आवश्यकता है। थापर का मानना है कि मेगस्थनीज़ का लेख इस तथ्य से प्रभावित था कि वह सेल्यूसिड क्षत्रप प्रणाली से परिचित था और इसलिए *इंडिका* पर हेलेनिस्टिक और सेल्यूसिड छाप देखने को मिलती है।

स्रोतः रोमिला थापर, 1993

बोध प्रश्न 2

1) *अर्थशास्त्र* में वर्णित राज्य के *सप्तांग* सिद्धांत पर एक नोट लिखें ।

....

....

....

....

....

2) मौर्यों के अंतर्गत प्रशासनिक संरचना का 100 शब्दों का वर्णन करें।

....

....

....

....

....

3) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है (✓) या गलत (×)।

क) शूद्रों को बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों के लिए नियोजित किया गया था। ( )

ख) मौर्यकालीन भारत के सभी गाँव प्रत्यक्ष राज्य नियंत्रण में थे। ( )

ग) *अर्थशास्त्र* के अनुसार राजा के सामने मंत्रिपरिषद का निर्णय अंतिम था। ( )

घ) भारतीय राजव्यवस्था में राजा के दृष्टिकोण के संबंध में अपने प्रजा के प्रति एक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को अपनाना एक नया विकास था। ( )

ड़) मेगस्थनीज़ के लेखों में शहर प्रशासन का कोई विवरण नहीं है। ( )

च) कौटिल्य की योजना में राज्य के सात घटकों में राजा इसके केंद्र में था। ( )

छ) मौर्य राज्य ने सेना के रखरखाव पर एक बड़ी राशि खर्च की। ( )

ज) मौर्यों के पास जासूसी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ( )

झ) इस अवधि के दौरान अदालतों के कामकाज के कुछ नियम और कानून थे। ( )

ण) राजा को राजस्व में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। ( )

16.9 सारांश

मौर्य काल ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में पहले साम्राज्य की स्थापना देखी। इतने बड़े साम्राज्य के लिए शासन की नई रणनीतियों की आवश्यकता थी। मौर्यों के अधीन स्थापित प्रशासन की जटिल प्रणाली सफलताओं की नींव का आधार बनीं। अशोक, सभी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को त्यागने और अपने आध्यात्मिक पक्ष की ओर मुड़ने के लिए जाना जाता है। उन्होंने *धम्म* को बढ़ावा देने का फैसला किया, जो बुद्ध की शिक्षा में उनकी व्यक्तिगत आस्था से प्रेरित था।

मौर्य शासन के तहत पूर्ववर्ती शताब्दियों में कृषि विस्तार और शहरीकरण की सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाएं जारी रहीं, और शहरों, व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था में और वृद्धि हुई। हालांकि, अशोक के बाद, साम्राज्य में तेजी से गिरावट देखी गई। अगली इकाई में इस राज्य की ऊँचाई उसके बाद की गिरावट पर करीब से व्याख्या होगी।

16.10 शब्दावली

आजीवक	:	बुद्ध के समय का एक विधर्मी संप्रदाय
उपकर	:	कर
चक्रवर्ती / चक्रवर्तीगल / चक्रवत्ती	:	सार्वभौमिक सम्राट
क्लासिकल स्रोत	:	इसका इशारा ग्रीक स्रोतों की ओर है उदाहरणार्थ मेगास्थनीज़ की *इंडिका*।
प्रसार	:	उत्पत्ति के केंद्र से किसी भी वस्तु का फैलना
उदार	:	विविध विचारों और दर्शन से स्वतंत्र रूप से उधार लेना
जासूसी	:	जासूस प्रणाली
राजकोषीय	:	आर्थिक और वित्तीय उपाय
काहपण / कार्षपण / पण	:	व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सिक्का श्रृंखला, अक्सर चांदी
सीता भूमि	:	राजा द्वारा सीधे स्वामित्व वाली / नियंत्रित भूमि

16.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) भाग 16.2 देखें
2) भाग 16.4 देखें

बोध प्रश्न 2

1) भाग 16.6 देखें।
2) भाग 16.7 और इसके उप-भाग देखें
3) (क) ✓ (ख) × (ग) × (घ) ✓ (ड़) ×
   (च) ✓ (छ) ✓ (ज) × (झ) ✓ (ण) ×

16.12 संदर्भ ग्रन्थ

थापर, रोमिला (1993). *द मौर्यज रिविज़िटेड.* सखाराम गणेश दयोश्कर लेक्चर्स ओन इंडियन हिस्ट्री, 1984. कोलकताः के. पी. बाग्ची एंड कम्पनी.

थापर, रोमिला (1997). *अशोक एंड द डिक्लाईन ऑफ द मौर्यज.* रिवाईज्ड ऐडिशन दिल्लीः ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रैस.

थापर, रोमिला (2003). *द पैन्गुईन हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडियाः फ्रॉम द ओरिजिन्स टू ए डी 1300.* लंदनः पेन्गुईन बुक्स.

सिंह, उपिन्दर (2008). *ए हिस्ट्री ऑफ ऐंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडियाः फ्रॉम द स्टोन ऐज टू द 12वीं सेन्चुरी.* दिल्लीः पियर्सन लोंगमैन